

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :- 510/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

रोशन कुमार सुरीन

- विक्रेता

सुश्री सुनिता हेमरोम

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित																
18.09.19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक रोशन कुमार सुरीन पिता स्व० सबन सुरीन ग्राम-कदमा, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने सुश्री सुनिता हेमरोम पिता श्री पौलुस हेमरोम ग्राम-कमन्ता, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="256 712 1406 920"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना न०</th> <th>खाता न०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">कमन्ता</td> <td rowspan="4">79</td> <td rowspan="4">01</td> <td>519</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>520</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>524</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0637043156 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 556 दिनांक 10.07.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला सं०- 5363 दिनांक 20.06.87 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम जीरात मालिक नाम लगान पाने वाले ठाकुर महेन्द्रनाथ सहदेव हैं। पंजी II के अनुसार रोशन कुमार सुरीन के नाम भूमि का रकबा 9.19½ एकड है। आवेदक के पास कुल रकबा 9.19½ एकड भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 27092.00(सत्ताईस हजार बानब्बे)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 9.09½ एकड रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैंसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>अंचल अधिकारी, खूँटी का पत्रांक 778 दिनांक 26.08.19 के जांच प्रतिवेदन अनुसार आवेदिका सुनिता हेमरोम अविवाहित है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण रोशन कुमार सुरीन पिता स्व० सबन सुरीन को सुश्री सुनिता हेमरोम पिता श्री पौलुस हेमरोम के साथ ग्राम कमन्ता के खाता सं० 01 खेसरा संख्या 519,520,524 का कुल रकबा 0.10 एकड भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 27092.00(सत्ताईस हजार बानब्बे)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित,</p> <p style="text-align: center;">18/09/19</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना न०	खाता न०	खेसरा सं०	रकबा(एकड में)	कमन्ता	79	01	519	0.03	520	0.01	524	0.06		0.10	
ग्राम	थाना न०	खाता न०	खेसरा सं०	रकबा(एकड में)														
कमन्ता	79	01	519	0.03														
			520	0.01														
			524	0.06														
				0.10														

18/09/19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।